

प्रारूप अधिसूचना

एस०ओ०...../

पटना,/2025

औरंगाबाद जिला अन्तर्गत देव अंचल के पवई पंचायत के ग्राम टिटार्ई बिगहा में स्थित तीन पहाड़ियों के भू-भाग जिसका कुल विस्तार 20 हे० है, तथा जिसकी विवरणी नक्शा सहित उपाबद्ध अनुसूची में उपलब्ध है, को निम्नांकित जैव विविधता की विशिष्टता तथा पारितंत्र महत्व एवं अन्य सम्बद्ध तथ्यों के आलोक में “**जैव विविधता विरासत स्थल**” के रूप में संरक्षित करना अपेक्षित है:-

- (i) यह स्थल एक विशेष किस्म का भौगोलिक भू-आकृतिक स्थल है, ऐसा एकस्थ महाकाय शिला उत्खण्ड अर्थात् monolithic rock outcrop जो भू-वैज्ञानिक परिभाषा में inselberg के नाम से ख्यात हैं। यह स्थल ऐसे Inselberg Series का हिस्सा है जो अर्कियन से लेकर वर्तमान समय के विभिन्न समय के विभिन्न संरचनाओं से बना है जो प्लेइस्टोसिन युग से चतुर्थक युग का जलोढ़ है, जो बेसमेंट चट्टानों पर बेमेल रूप से स्थित है।
 - (ii) यह स्थल सोन नदी की बेसिन सम्भूमि के कृषि क्षेत्र तथा (river basin plains agricultural landscape) तथा निकट भविष्य में विस्तार होने वाले शहरी क्षेत्र (urban landscape) में एक विशेष एवं भिन्न किस्म का लघु पारितंत्र – महाकाय शिलाखण्ड क्षेत्र (micro ecoregion-monolithic rock outcrop) के रूप में समाविष्ट है।
 - (iii) इस स्थल का पारितंत्र और इससे सम्बन्धित जैव विविधता वहाँ के स्थानीय परिवेश में विलक्षण है। यह स्थल उक्त इलाके में पारितंत्र स्तर (ecosystem level) पर विविधता प्रदान करती है – यह शिलाखण्ड भू-भाग अर्द्ध-शुष्क जैवजलवायु के लघु पर्यावासों के पारितंत्र के द्वीप (bioclimatic island of micro habitats of semi-arid and xeric ecosystem) के रूप में अवस्थित है। इनमें वैसे पर्यावासों के पादप/ वनस्पति एवं जन्तु प्रजातियाँ उपलब्ध हैं एवं यह उनका अवशेष शरणस्थली है।
 - (iv) इस स्थल का स्थानीय परिवेश प्राकृतिक स्वरूप - महाकाय शिलाखण्ड, अर्द्ध-प्राकृतिक स्थल-उद्यान या पार्क तथा मानवीय बसावट वाले भू-खण्ड का समागम अथवा मोजैक (mosaic) भी है।
 - (v) यह भू-भाग वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है। अतएव जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय की गयी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों (Other Effective Area Based Conservation Measures - OECM) की श्रेणी में इस स्थल का संरक्षण वांछित है।
2. जैव विविधता अधिनियम 2002 (संशोधन 2023) की धारा-37 तथा बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम संख्या-24 के अन्तर्गत जैव विविधता विरासत स्थल के प्रावधान एवं तथा सम्बन्धित पंचायत के जैव विविधता प्रबन्धन समिति के परामर्श से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद के जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान एवं घोषणा सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत उक्त स्थल **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में घोषित करने के लिये उपयुक्त पाया गया है।
 3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधित 2023) की धारा-37 के अन्तर्गत गठित पवई पंचायत, अंचल-देव, जिला- औरंगाबाद की जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त स्थल को जैव विविधता

विरासत स्थल घोषित करने की अनुशंसा की गयी है।

4. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमण्डल के प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव की संस्तुति करते हुए उक्त स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की अनुशंसा की गयी है।
5. उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित स्थल को जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संसोधन 2023) की धारा-37 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है। घोषित स्थल का नाम “**भरकुर देव जैव विविधता विरासत स्थल**” होगा। इस घोषणा के उपरान्त उक्त स्थल के संरक्षण एवं प्रबंधन में निम्नांकित अनुदेश और उपबन्ध प्रयुक्त होंगे:-

(i) सकल घोषित 20 हे० भू-भाग का प्रबन्धन एवं संरक्षण निम्नवत् किया जायगा:-

(क) प्राकृतिक संरक्षण खण्ड	उत्तरवर्ती पहाड़ी (तलहटी पर अवस्थित बसावट के अंश को छोड़कर)	4.0 हे०	इसमें शिलाखण्ड के प्राकृतिक स्वरूप एवं पर्यावास की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापन किया जायगा।
	मध्यस्थ पहाड़ी वन विश्रामागार इत्यादि परिसर को छोड़कर	5.5 हे०	
	दक्षिणवर्ती पहाड़ी (जैव विविधता पार्क के अंशों को छोड़कर)	4.5 हे०	
	कुल	14.0 हे०	
(ख) जैव विविधता उद्यान (बायोडायवर्सिटी पार्क) एवं प्रकृति पर्यटन खण्ड		5.5 हे०	इसके उपयोग एवं प्रबन्धन में यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्राकृतिक संरक्षण खण्ड पर कोई पारिस्थितिकीय प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, अपितु यथासाध्य उसके संवर्द्धन में पूरक एवं हितकारी हो सके।
(ग) प्रशासनिक एवं वन विश्रामागार खण्ड		0.5 हे०	इस खण्ड के उपयोग में यह सुनिश्चित किया जायगा कि वायु तथा ध्वनि प्रदूषण इत्यादि नहीं हों
योग		20.0 हे०	

- (ii) घोषित भू-भाग की जैव विविधता का संरक्षण हो सके तथा इसकी पारिस्थितिकीय स्थिति में सुधार हो, इसके लिये बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के मार्गदर्शन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों तथा संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति के परामर्श से 6 माह की अवधि में 10 वर्षों की **प्रबन्धन कार्य योजना** तैयार की जायगी। इस प्रबन्धन कार्य योजना को जिला पर्यावरण समिति द्वारा अनुमोदित कर इसका क्रियान्वयन किया जायगा।
- (iii) उक्त प्रबन्धन कार्य योजना के प्रावधानों में सुनिश्चित किया जायगा कि उक्त भू-भाग पर किन्हीं विधिसम्मत क्रिया-कलापों पर आधारित स्थानीय समुदाय की आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, तथा ऐसे किसी अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभाव के निराकरण का समुचित और पर्याप्त निराकरण अथवा प्रतिकारण की कार्यकारी व्यवस्था प्रबन्धन कार्य योजना में समाविष्ट कर ली जायगी।
- (iv) प्रबन्धन कार्य योजना के प्रावधानों में भू-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्रिया-कलापों एवं परियोजनाओं के सूत्रण एवं क्रियान्वयन में कोई निषेधात्मक प्रतिबन्ध नहीं रहेंगे। उक्त परियोजनाओं या क्रिया-कलापों के सूत्रण एवं क्रियान्वयन में सम्बन्धित प्राधिकरण, विभाग, अथवा संगठन द्वारा घोषित भू-भाग में आवश्यकतानुसार बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् से परामर्श प्राप्त कर जैव विविधता एवं पारितंत्र के संरक्षण अथवा उनपर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने अथवा उनको प्रतिकार करने की व्यवस्था एवं कार्रवाई की जायगी।

राज्यपाल-बिहार के आदेश से

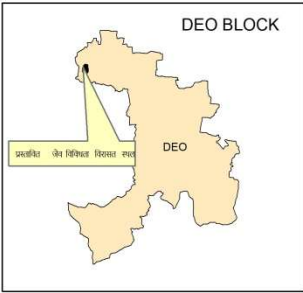
(.....)
सरकार के उप/संयुक्त/अपर सचिव

अनुसूची
भरकुर देव जैव विविधता विरासत स्थल

क्र.सं.	भूमि उपयोग का विवरण Land use		रकबा (हे.)	अभ्युक्ति
1.	जैव विविधता विरासत स्थल का प्राकृतिक संरक्षण अंश	उत्तरवर्ती पहाड़ी	4.0	तलहटी पर अवस्थित बसावट के अंश को छोड़कर
		मध्यस्थ पहाड़ी	5.5	वन विश्रामागार इत्यादि परिसर को छोड़कर
		दक्षिणवर्ती पहाड़ी	4.5	जैव विविधता पार्क के अंशों को छोड़कर
	योग		14.0	
2.	जैव विविधता उद्यान/पार्क		5.5	
3.	वन विश्रामागार इत्यादि परिसर		0.5	
	कुल योग		20.0	

ID	GPS	ID	GPS
1	24.7144 84.317	21	24.7153 84.3163
2	24.7142 84.3181	22	24.7157 84.3167
3	24.7142 84.3196	23	24.7159 84.3167
4	24.7129 84.3201	24	24.7162 84.3165
5	24.7117 84.3192	25	24.7169 84.317
6	24.7117 84.3175	26	24.7196 84.3185
7	24.713 84.3163	27	24.7194 84.3196
8	24.7138 84.3163	28	24.7184 84.3198
9	24.7139 84.3167	29	24.718 84.32
10	24.7173 84.3177	30	24.7176 84.32
11	24.7173 84.3187	31	24.7173 84.3197
12	24.7168 84.3192	32	24.7169 84.32
13	24.7163 84.3197	33	24.7171 84.3192
14	24.7167 84.3196	34	24.7174 84.3189
15	24.7159 84.3202	35	24.7173 84.3185
16	24.7151 84.3201	36	24.7174 84.3181
17	24.7145 84.3195	37	24.7176 84.318
18	24.7144 84.3182	38	24.7181 84.3175
19	24.7143 84.3178	39	24.7189 84.3177
20	24.7148 84.3167		

स्थल का नक्शा



- प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र
- जैव विविधता पार्क
- प्रशासनिक एवं वन विभाग गृह खंड

- 1) Natural conservation Part of Biodiversity Heritage Site- 14 hect
- 2) Biodiversity Park - 5.5 hect
- 3) Forest Rest House and other Area- 0.5 hect



PPROPOSED HERITAGE SITE DEO BLOCK , PAWAI PANCHYAT (AURANGABAD DISTRICT)

